तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः

श्री शिवप्रकाश चौधरी उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर इकतरफा कार्यवाही

निर्णय दिनां 04–1–2019

यह रेफरेंस अपर कलक्टर, अजमेर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस प्रार्थना पत्र संख्या 72/02 को अपने निर्णय दिनांक 4–4–2005के द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, केकडी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बघेरा तहसील केकडी में स्थित खसरा नंबर 1274 किस्म गै0मु0 नदी की भूमि का इन्द्राज गैर कानूनी रुप से अप्रार्थी के नाम हो जाने से उक्त अवैध इन्द्राज को निरस्त कर विवादित आराजी को पुनःनदी के रुप में दर्ज किया जावे।अधीनस्थ न्यायालय ने बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 4–4–2005 से अपनी सिफारिश के साथ यह रेफरेंन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

3– रेफरेंस इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। बहस प्रार्थी की इकतरफा सुनी गय।

4– योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नदी अंकित है। जिसका नियमन/आवंटन किसी भी व्यक्ति के नाम नही किया जा सकता है। विवादित आराजी का अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया नियमन/आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान के विपरीत है, जो विधिक के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को हाल राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नदी अभिलिखित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जावे।

5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6– प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बघेरा तहसील केकडी के खसरा नंबर 1274 रकबा 257–07–10 बीघा सं.1358 सन 1950–51 की भू प्रबन्ध जमाबन्दी में राजकीय खाते में नदी दर्ज थी एवं भूम एकीकरण विभाग ने सं.2022 में भूमि एकीकरण का रिकार्ड तैयार करते समय सुख/लाखा, काना पुत्र रोडा,गोकल पुत्र मादू निवासी बघेरा के नाम दर्ज करदी गयी तथा इनकी मृत्यु के बाद इनके वारिसान जा`कि अप्रार्थीगण है ने सं.2042 की जमाबन्दी में अपने नाम इन्द्राज करवा लिया जिसमें भूमि की किस्म आबी 3 बताई गई है।विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नदी अंकित है। जिसका नियमन/आवंटन किसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी व्यक्ति के नाम नही किया जा सकता है। विवादित आराजी का अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया नियमन/आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान के विपरीत है, जो विधिक के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। 7— अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3377, 3639/5428 रकबा 004,0.25 हैक्टेयर का जो अंकन अप्रार्थीगण के नाम हो रहा है, को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी को पुनः हाल राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। 8— पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार नाग) सदस्य	